RTI from Registrar general for Census details

Most Immediate/RTI Matter
Speed Post

No.28/1/2006-RTI(SS)
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
(भारत सरकार, गृह मंत्रालय)
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
(Government of India, Ministry of Home Affairs)
सामाजिक अध्ययन प्रभाग,
उत्तर विंग, पहली मंजिल, सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली - 110 066
Social Studies Division,
North Wing, First Floor, Sewa Bhawan, New Delhi-110 066

New Delhi, the 14th January, 2008

To,

Shri Sanjay Kumar Jain,
President, Vishwa Jain Sangathan (Regd.),
IX/1976, Street No. 4, Kailash Nagar,
Delhi-110031

Sub: Seeking religion related information under Right to Information Act, 2005

Sir,

Please refer to your letter dated 31.12.2007 seeking information on Jains collected in the Censuses since 1872. The para wise information are as under :

As mentioned in my earlier letter of even number dated 4th January, 2008, para (i) (E) does not related to Office of RGI and therefore, this was transferred to the Ministry of Minority, New Delhi under your intimation.

Para (i)(A) : Yes, since 1872 the Census of India has been collecting and publishing information on the population of each religious communities at the national and sub-national levels once in ten years.

Para (i) (B): In Census, 'religious communities' wise information is collected & published. But information on the question raised is not available.

Para (i) (C): Yes. Hindu & Jain religions were recorded separately in the Censuses.

Para (i) (D): The percentages given in this para are not correct. As per 1991 Census, the percentage of population by 'religious communities' as sought were:- Muslims(12.1%), Christians(2.3%), Sikhs(1.9%), Buddhists(0.8%), Jains(0.4%), & Other religions/persuasions(0.4%). In 1991, no Census was conducted in Jammu & Kashmir.

Yours faithfully,

(S. L. Jain)
Deputy Director &
Central Public Information Officer(SS Div.)

Chhatisgarh Govt Notification

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन

:- अधिसूचना :-

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर, 2002

एफ / 5882 / 2614 / आजावि / 2002 : छत्तीसगढ़ राज्य अल्प संख्यक आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 2 के खण्ड (ग) के उप खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जैन समुदाय को, अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी०के०द्विवेदी)
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,

पृ०क० एफ / 5883 / 2614 / आजावि / 2002 : रायपुर, 24 दिनांक दिसम्बर, 2002

प्रतिलिपि,

1— महामहिम राज्यपाल महो० के सचिव, राज भवन, रायपुर
2— सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा रायपुर
3— मान० मुख्य मंत्री जी के सचिव मंत्रालय, रायपुर
4— मान० मंत्री, आदिम जाति एवं अनु० जाति विकास विभाग के निज सचिव, मंत्रालय,रायपु
5— मान० राज्यमंत्री, आदिम जाति एवं अनु० जाति विकास विभाग के निज सचिव, मंत्रालय,रायपुर
6— मान० अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अल्प संख्यक आयोग के सचिव, रायपुर
7— मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, रायपुर
8— अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
9— शासन के समस्त विभाग / विभागाध्यक्ष
10— अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल / माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, रायपुर
11— रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, बिलासपुर
12— सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर
13— समस्त जिलाध्यक्ष / कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़
14— महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर

(एच० यू० खान)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,

Delhi Govt. minority declaration

17/10/2008 12:44 FAX 23392220 001

25365506
25088524

F.No. 13/21/2000/HP-I/Estt./2661

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
HOME POLICE-I/ESTABLISHMENT
5TH LEVEL, C WING, DELHI SECRETARIAT, IP ESTATE, NEW DELHI

Dated. 13/X/08

ORDER

In the light of the judgment of Hon'ble High Court of Delhi in *Arya Samaj Education Trust, Delhi and Ors. v. The Director of Education, Delhi Administration, Delhi and Ors.,(AIR 1976 Del. 207)* wherein Hon'ble Court had held "Jain" community as minority community for the purpose of article 30(1) of the Constitution of India, and in order to clarify that the "Jain" community may establish minority educational institutions in accordance with article 30(1) of the Constitution of India, It is hereby declared that the "Jain" community shall be treated as a "minority" community in the National Capital Territory of Delhi.

(RAKESH MEHTA)
CHIEF SECRETARY, DELHI

All Pr. Secretaries/Secretaries/Head of Departments, GNCTD, all Head of Local Bodies/ Autonomous Bodies/ Undertakings/Corporations.

F.No. 13/21/2000/HP-I/Estt./2662 to 2665 Dated. 13/X/08.

Copy to:-

1. Principal Secretary to the Lt. Governor, Delhi, Raj Niwas, Delhi.
2. Principal Secretary to the Chief Minister, Delhi, Delhi Sectt., New Delhi.
3. Joint Secretary (UT), Govt. of India, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.
4. Director, Directorate of Information and Publicity, Old Sectt., Delhi, for giving wide publicity.

(R.N.SHARMA)
JOINT SECRETARY (HOME)

Haryana Govt notification 1 (1)

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

NOTIFICATION

The 6th, April, 2012

No. 335-SW(4) 2012 The Governor of Haryana hereby notifies Jain Community as an Minority Community in the State of Haryana. The Jain Community would rank pari passu in the State of Haryana with the Minority Communities as notified under the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992).

Chandigarh
Dated: 16th, March, 2012

Manik Sonawane
Financial Commissioner & Principal Secretary to Government,
Haryana, Social Justice & Empowerment Department

Endst No. 335-SW(4) 2012 Dated: 6 April, 2012

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Financial Commissioners and Principal Secretaries and all the Administrative Secretaries to Government, Haryana.
2. Accountant General (A&E) and Audit, Haryana, Chandigarh.
3. The Registrar (General), Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.
4. All the Heads of the Departments in Haryana.
5. Commissioners Rohtak, Gurgaon, Hisar and Ambala Divisions.
6. All the Deputy Commissioners in Haryana.
7. The Managing Directors of all Boards, Corporations and Cooperative Federations in Haryana.
8. The Registrars, Maharishi Dayanand University, Rohtak, Kurukshetra University Kurukshetra, Ch. Charan Singh Haryana Agriculture University, Hisar and Guru Jambheshwar University, Hisar.

6/4/12
Deputy Secretary
for Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt. of Haryana, Social Justice & Empowerment Department

Endst. No. 335-SW(4) 2012 Chandigarh, dated 6/4/12

A copy is forwarded to the Controller, Printing & Stationery Department Haryana, Chandigarh for publishing this notification in the Haryana Govt. Gazette and 250 spare copies may please be supplied to the undersigned at the earliest.

-- Sd --
Deputy Secretary
for Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt. of Haryana, Social Justice & Empowerment Department

Contd page-2

Mah Govt Notification

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA

By Fax

No.RMN-2003/1216/C.R.114/04/35
General Administration Department,
New Administration Building, 9th floor,
Madam kama Road,
Mantralaya, Mumbai - 400 032.
Dated :- 20 SEP 2004

To,

Joint Secretary,
Government of India,
National Commission for Minorities,
Government of India,
Loknayak Bhavan, Khan Market,
NEW DELHI - 110 003.

Dear Sir,

I am directed to refer to your letter D.O. 81/70/04-NCM, dated 20 September, 2004 and to state that State Government has took a policy decision to declare Jain Community in the State as Minority Community, accordingly Government Resolution has been issued on dated 7th May, 2004. Copy enclosed as requested.

Your's,

(S. G. Thakur)
Under Secretary to Govt. of Maharashtra.

Encl. As above.

Minority by AP

By RPAD

GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH
MINORITIES WELFARE (V&C) DEPARTMENT

Letter No.2356/V&C/A2/2011 Dated;-1-6-2011

From
The Assistant Secretary to Government
Minorities Welfare Department
A.P.Secretariat
Hyderabad

To
Sri.Sunjay Kumar Jain,
Presiedent,
Vishwa Jain Sanghatan,
IX/1976,lane 4, Kailash Nagar, Delhi-31,

Sir,

Sub:- Minorities Welfare Department- furnishing information under the Provisions of RTI Act-2005-Reg,

Ref:- Application of Sri. Sunjay Kumar Jain, President, Vishwa Jain Sanghatan, Delhi received through the J.S to Govtt., Social Welfare Deptt.,U.O.Note.No.6730 /CV.1/2011-1, dated 25-5-2011.
2) G.O.Ms.No.89,M.W(V&C) Deptt., dated 8-03-2011

****

I am directed to inform that vide reference 2nd cited, Government of Andhra Pradesh declares the Jain Community as Minorities in the state of Andhra Pradesh. A Copy of the same is herewith enclosed.

Yours faithfully
1/6/2011
(M.SHIVA SHANKAR)

MP Govt declaration

169

मध्य प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 29/मई 2001.

-: अधि-सूचना :-

एफ 11-18/98/54-2 मध्य प्रदेश, राज्य अल्पसंख्यक आयोग, अधिनियम-1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 2 के खण्ड (ग) के उप खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करती है।

म०प्र० के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(डी. आर. भगत)
प्रमुख सचिव,
म०प्र० शासन,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

पृष्ठांकन क्र. एफ 11-18/98/54-2 भोपाल, दिनांक 29/5/2001
प्रतिलिपि:-

1- महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव, राज भवन भोपाल।
2- सचिव, म०प्र० विधान सभा भोपाल।
3- मान. मुख्य मंत्री जी के सचिव, मंत्रालय भोपाल।
4- मुख्य सचिव, के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल।
5- मान. मंत्री जी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भोपाल।
6- शासन के समस्त विभाग/विभागाध्यक्ष/संभागायुक्त।
7- अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म०प्र० ग्वालियर।
8- समस्त जिलाध्यक्ष/कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म०प्र०।
9- अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग/व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल।
10- रजिस्टार जनरल, उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर।
11- सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर/आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय भोपाल।
12- महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर/अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्म. कल्याण समिति भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(डी. जी. गोलाईत)
अवर सचिव,
म०प्र०शासन, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय- भोपाल।

Rajasthan Govt Notification

राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

क्रमांक : एफ7(4)(9)अराआ/विकास/सकवि/02/62784 — जयपुर दिनांक 19/9/2003

अधिसूचना

राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 2 के खण्ड (iii) के उप-खण्ड (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए राजस्थान राज्य में जैन समुदाय को इसके द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करती हैं।

राज्यपाल के आदेश से,

ललित मेहरा
शासन सचिव

राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 7(4)(9)अराआ/विकास/सकवि/02/ 62784 — जयपुर, दिनांक 19.9.2003

अधिसूचना

राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 2 के खण्ड (iii) के उप–खण्ड (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए राजस्थान राज्य में जैन समुदाय को इसके द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करती, है।

राज्यपाल के आदेश से,

(ललित मेहरा)
शासन सचिव

UP Govt declaration

उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4

संख्या : ५४० /52-4-2003-1(3)/96

लखनऊ : दिनांक : २९ मार्च, 2003 ।

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-22 सन् 1994) की धारा-2 के खण्ड-"घ" के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करते हैं।

आज्ञा से,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)

सचिव

संख्या : ५४० (1)/52-4-2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इसे असाधारण गजट दिनांक 29 मार्च, 2003 के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 800 प्रतियां इस अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)

सचिव

Uttranchal Govt Notification

उत्तरांचल शासन
समाज कल्याण अनुभाग
संख्या : 2756 / स0क0 / 2003–411(समाज कल्याण) / 2002
देहरादून : दिनांक :07 अक्टूबर, 2003

Diary No.........852
5 NOV 2003
National Commission For Minorities

अधिसूचना

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 9 सन् 2002) की धारा–2 की उपधारा (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल एतदद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उत्तरांचल के मूल निवासी जैन समुदाय को उत्तरांचल में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित करते हैं।

सुदर्शन अग्रवाल
राज्यपाल

आज्ञा से,
(एस. के. मुट्टू)
सचिव।

संख्या : 2756(1) / स.क. / 2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निदेशक, फोटोलिथो प्रेस, रूड़की (हरिद्वार) को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना गजट में प्रकाशित कर मुद्रित अधिसूचना की 500 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(अरूण कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।

संख्या : 2756(2) / स.क. / 2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री जी, उत्तरांचल।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्यसचिव, उत्तरांचल शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
6. आयुक्त, कुमाऊं / गढ़वाल मण्डल, नैनीताल / पौड़ी।
7. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
11. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अरूण कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।